

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम..... रामरूप रामप्रसाद मु.नं. 77/22	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक की तामील मेंजारी हुए
---------------	---	--

तलबना सम्म अतिवर्ष रूप से फेरा हो/आ
 फावली वाले तलबी दिनांक 02/5/25 से फेरा हो
 उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)

02/5/25 फावली फेरा हुई वहीला जाधी अतिवर्ष
 फावली वाले तलबी पूर्वतमाद दिनांक 13/6/25
 से फेरा हो
 उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)

13/6/25 जाधीलाकी द्वारा जाधीला जाधी अतिवर्ष से
 जाधीला जाधीला हो गया। फावली पूर्वतमाद दिनांक
 1-7-25 को फेरा हो।

04-7-25 फावली फेरा हुई वहीला जाधी
 अतिवर्ष/ अजाधी सं. 03, 04 के तलबना सम्म
 अजाधी/ वहीला जाधी को अतिवर्ष से जाधी हो डि
 अजाधी सं. 03, 04 के तलबना सम्म अतिवर्ष
 रूप से फेरा करने हेतु अतिवर्ष अतलब डि। जाधी
 थी फावली वाले तलबी अजाधी सं. 03, 04 दिनांक
 8/8/25 को फेरा हो
 उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)

8/8/25 फावली फेरा हुई फावलीला को वार-2
 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे।
 इससे स्पष्ट है कि फावलीला फावली में कोई
 भी अतिवर्षी के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए फावली
 जाधी की अहकाम जारी व अहकाम ~~सम्म~~ में एवाजि हो

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक
की तामील मेंजारी हुए

बनाम.....
राम प्रसाद राम प्रसाद
मु.न. 77/22 78

जाती हैं) पत्रावली में दिनांक 18.10.22 को जारी
की गई अन्तरिम अट्वाई निपेक्षा के प्रचलन
को समाप्त किया जाता है) पत्रावली केसल शुका
देकर वाकिल दफतर हो न

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)